

RTI Matter

No. 24/252/2014 – Public
Government of India
Ministry of Home Affairs
Public Section

New Delhi, dated 17 July, 2014.

To


Shri Rakesh Dubey
DK-4/223, Danish Kunj
Kolar Road, Bhopal
Madhya Pradesh – 462 042

Subject : Seeking information under RTI Act, 2005 – regarding.

Please refer to your RTI application dated nil received through RTI Section (received in Public Section on 02.7.2013, on the above subject.

2. As per the record retention schedule duly approved for Public Section, recommendations for Gallantry Awards are kept in record for three years only. The information pertains to 2003, hence the information sought cannot be provided.

3. Appeal if any, may be made under Section 19(1) of the RTI Act to Shri Satpal Chouhan, Joint Secretary (Admn), Room No. 194, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi-110001, the Appellate Authority, within 30 days.


(Shyamala Mohan)
Director & CPIO

✓
Copy alongwith a copy of above mentioned RTI application to :
Section Officer (IT Cell), MHA, North Block, New Delhi. It is requested to
upload the same on the MHA Website.

CR - 301544 / 2014 (N & V) / 10

सं. नं-43020/01/2014 जन. के अड्डे 02/07

भारत सरकार (R)

गृह नजरोकद

नं. दिल्ली, दिनांक : 1/7 / 2014

कार्यालय, गणपत

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री राकेश गुप्ते का आवेदन।

अध्यात्मतारकी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री राकेश गुप्ते के आवेदन (सं. नं. 29365) के दिनांक : 27/6/2014 का प्रस्ताव को अंगीकार करने का निर्णय हुआ है, क्योंकि नतीजा यह सूचना उक्त आवेदन के विषयक प्रश्नों के संबंध में है कि उक्त सूचना का प्रदान किया जा सकता है कि नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने के संबंध में सूचना अधिकारी का प्राथमिकता है कि सूचना का प्रदान किया जा सकता है कि नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने के संबंध में सूचना अधिकारी का प्राथमिकता है कि सूचना का प्रदान किया जा सकता है कि नहीं।

सूचना नं. 29365 का निर्णय शुद्ध दिनांक 27/6/2014 के तहत सूचना का प्रदान किया जा सकता है कि नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने के संबंध में सूचना अधिकारी का प्राथमिकता है कि सूचना का प्रदान किया जा सकता है कि नहीं।

सहायक : प्रधान

सु. शासन
(सं. सं. सं. सं.)
उक्त नजरोकद, भारत सरकार

निदेशक (एडवी) (पाब्लिक इन्फार्मेशन के लिए)
गृह मन्त्रालय
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली

प्रति सूचनाएं प्रेषित :
श्री/श्रीमती/सुश्री राकेश गुप्ते
डी.के.-पु. 223,
दुर्गाेश कुंज, कोलार रोड
आपाल - 4/20/42

WS(P)

27/7/14

2/14

MS. 100

(उक्त अनुरोध है कि इस नजरोकद में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उक्त नजरोकद केन्द्रिय लोक सूचना अधिकारी से संपर्क किया जाय।)

24/252/2014

4473/RTI/MHA/2014
27/6/14

प्रेषक :
राकेश दुबे,
डीके-4 / 223,
दानिश कुंज, कोलार रोड,
भोपाल 462042

प्रति,


लोक सूचना अधिकारी,
गृह मंत्रालय,
भारत सरकार,
नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली

मुझे यह ज्ञात हुआ है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा उनके पत्र दिनांक 29.5.2003 के माध्यम से श्री स्वराज कुमार पुरी, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश के संबंध में उन्हें भोपाल गैस त्रासदी में प्रदर्शित किये गये शौर्य के लिये अशोक चक्र से अलंकृत करने की अनुशंसा की गई थी। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 16.9.2004 को पुनः अनुशंसा संबंधी पत्र भेजा गया है।

कृपया सूचना के अधिकार नियम के अंतर्गत उक्त दोनों पत्रों व उनके सहपत्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस हेतु निर्धारित राशि में जमा कराने को तैयार हूँ, कृपया अवगत करावें।

आवेदन शुक्ल के रूप में निर्धारित 10 रुपये का पोस्टल आर्डर कर्मांक
दिनांक संलग्न है।

भवदीय,


(राकेश दुबे)

डीके-4 / 223,

दानिश कुंज, कोलार रोड

Public Section
Punjab